नगर पालिका परिषद,सम्भल।

पत्रांक :–576 / गृ०वि० / 2025–26 दिनांक :–19/11/2025

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका में कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिए प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने तथा सभी नगरीय निकाय में एक सुसंगत एवं मानक व्यवस्था निर्मित किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में वर्णित धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत नगर पालिका निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन मानक उपविधि तैयार की गई है जिसको लागू कराये जाने हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या- 925/नौ -9-2025-ई-1853096,लखनऊ निर्गत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

1.जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन में परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका को प्रस्तुत किया जाए।यहाँ आवेदक से प्रभार(नगर पालिका निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि 2025 के अनुसार उदग्रहीत किया जाएगा। प्रभारो की दरें निम्नवत् होंगी-

(क) किसी विधिक उतराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत होगी:–

क्रम संख्या	संपत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रुपये में)
1	1000 तक	500/-
2	1000-2000 तक	1000/-
3	2001-3000 तक	1500/-
4	3000 से अधिक	2500/-

(ख) नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारो की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि जो, भी अधिक हो,के आधार पर निम्नवत होगी-

क्रम संख्या	संपत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रुपये में)
1	रूपए 5 लाख तक	1000/-
2	रूपए 5 लाख से 10 लाख तक	2000/-
3	रूपए 10 लाख से 15 लाख तक	3000/-
4	रूपए 15 लाख से 50 लाख तक	5000/-
5	रूपए 50 लाख से ऊपर	10000/-

2. उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम 1916 की धारा 92 के प्राविधानो के अन्तर्गत नगर पालिका बोर्ड की स्वीकृति / अनुमोदन से किया जा सकेगा।

3.उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभाव देय होगा।

4.यदि उपनियम (1) के खंड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अंतरण हो और संबंधित संपत्ति मध्यता क्रेताओ या अंतरती के नाम से निर्धारण सूची में अंतरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अंतरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम (1) के खंड (ख) में विनिदिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उदगृहीत किया जाएगा।

5.यदि उस सम्पत्ति के संबंध में नगर पालिका परिषद से संबंधित कोई धनराशि देय हो तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारो के साथ किया जाएगा।

उपरोक्त उपविधि की संपूर्ण जानकारी नगर पालिका परिषद सम्भल के कार्यालय में तथा वेबसाइट www.nagarpalikasambhal.in पर अवलोकित की जा सकती हैं। यदि शासन द्वारा निर्धारित दरों के संबंध में किसी भी जनसामान्य/संपत्तिकरदाता को कोई आपत्ति हो तो आगामी 30 दिन के अंदर नगर पालिका परिषद सम्भल के कार्यालय में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, सम्भल को संबोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किए जाएगे। नियत समय के उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

19.11.2025

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,सम्भल

प्रतिलिपि:–

1–संवाददाता दैनिक समाचार....हिन्दुस्तान एवं उत्तम भारत....को इस आशय से कि कृप्या छोटे आकर में क्रम से कम व्यय पर एक बार निविदा प्रकाशन करने हेतु एव पांच प्रतियाँ कार्यालय को उपलब्ध कराए।

2- कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, कार्यालय उप जिलाधिकारी महोदय सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

3- कार्यालय नगर पालिका परिषद् सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

19.11.2025

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,सम्भल